न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –03/2017 (आव.व.अधि)

सरकार जर्ये अमित कुमार शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा।

–प्रार्थी

बनाम

मैसर्स फिरदौस रेस्टोरेन्ट, डीसीएम रोड, कोटा
श्री शादाब खान पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी म0नं0 18 विज्ञान नगर, कोटा

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 10.07.2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनांक 22.8.2017 को जिला रसद अधिकारी कोटा एवं जांच दल में सम्मिलित सदस्य श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक श्री अरविन्द आचार्य, श्री आशीष पाठक सेल्स ऑफिसर हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉ0 लि0 कोटा दौपहर 2.30 पर फिरदौस रेस्टोरेन्ट, डीसीएम रोड कोटा श्री शादाब खान पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी म0नं0 18 विज्ञान नगर, कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स के दुरूपयोग की जांच हेतु मौके पर पहुंचे मौके पर श्री शादाब खान पुत्र श्री रफीक अहमद निवासीम0नं0 18 विज्ञान नगर, कोटा उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया एवं अपनी दुकान की जांच करवाई । वक्त जांच इस प्रकार स्थिति पाई गई कि श्री शादाब खान पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी म0नं0 18 विज्ञान नगर, कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया । मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण के बारे में उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर्स के वैद्य दस्तावेज चाहने पर उपस्थित द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये । इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर्स का दुरूपयोग करने तथा जिस उपयोग हेतु गैस कनेक्शन जारी किया गया है, उस उपयोग में नहीं लेने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) आदि धाराओं का उल्लंघन पाये जाने से मौके से जप्त किया जाकर मौके पर ही उपस्थित श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री बृजराज सिंह निवासी म0नं0 672 बालापुरा कुन्हाडी कोटा को सुपुर्दगी में शर्तो के अनुसार दिया गया । सिलेण्डर्स का विवरण निम्नानुसार है–

क. सं.	तेल कम्पनी का नाम	गैस सिलेण्डर्स के एस.आर. नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	B.P.C.L	875242	16.5	16.6	0.18
2	I.O.C.L	684743P	15.5	24.3	8.8
3	H.P.C.L	190324	15.9	17.5	1.6
4	I.O.C.L	अपठनीय	15.7	17.4	1.7

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

2. इस प्रकार उक्त श्री शादाब खान पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी म0नं0 18 विज्ञान नगर, कोटा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित घरेलु गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदायका विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ए), (बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 4 उपयोग के सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ, तथा वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया है तथा कथन किया कि अप्रार्थी के पास पहले से ही कॉमर्शियल सिलेण्डर है जिनका उपयोग रेस्टोरेन्ट में किया जाता है । अप्रार्थी का परिवार बडा है, कई भाईयों के परिवार एकसाथ रहते है, जिनके पास कई सिलेण्डर है , जिनके खाली सिलेण्डर दुकान के पते पर ही भरे जाते है, इस कारण खाली होने की स्थिति में वह सिलेण्डर दुकान पर रखे रहते है, ताकि आसानी से सिलेण्डर को बदला जा सकें । अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही परवर्स एवं केप्रिशियस होने के कारण जारी किया गया नोटिस अपास्त होने योग्य है । अप्रार्थी के विरूद्व जो प्रकिया अपनाई जा रही है, वह समस्त प्रकिया विद्आउट ज्यूरिडिक्शन है, इस कारण से नोटिस अपास्त होने योग्य है । अतः अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही को अपास्त किया जाकर जब्त किये गये सिलेण्डर नं0 875242, 6847439, 190324 एवं अपठनीय को रिलीज किये जाने की कृपा करें।

4. पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई । दौराने बहस जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही को उचित बताया एवं जब्तशुदा 04 सिलेण्डरों को राजसात करने की प्रार्थना की गई ।

5. वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के पास पहले से ही ऑमर्शियल सिलेण्डर है जिनका उपयोग रेस्टोरेन्ट में किया जाता है । अप्रार्थी का परिवार बडा है, कई भाईयों के परिवार एकसाथ रहते है, जिनके पास कई सिलेण्डर है , जिनके खाली सिलेण्डर दुकान के पते पर ही भरे जाते है, इस कारण खाली होने की स्थिति में वह सिलेण्डर दुकान पर रखे रहते है, ताकि आसानी से सिलेण्डर को बदला जा सकें । अप्रार्थी के विरूद्व जो प्रकिया अपनाई जा रही है, वह समस्त प्रकिया विद्आउट ज्यूरिडिक्शन है, इस कारण से नोटिस अपास्त होने योग्य है । अतः अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही को अपास्त किया जाकर जब्त किये गये सिलेण्डर नं0 875242, 6847439, 190324 एवं अपठनीय को रिलीज किये जाने की कृपा करें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । दिनांक 22.8.2017 को जिला रसद अधिकारी कोटा एवं जांच दल में सम्मिलित सदस्य श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक व श्री अरविन्द आचार्य श्री फिरदौस रेस्टोरेन्ट, डीसीएम रोड कोटा श्री शादाब खान पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी

Scanned by CamScanner

म0नं0 18 विज्ञान नगर, कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स के दुरूपयोग की जांच में मौके पर श्री शादाब खान पुत्र श्री रफीक अहमद निवासीम0नं0 18 विज्ञान नगर, कोटा की उपस्थिति में फर्म की जांच की गई । वक्त जांच श्री शादाब खान पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी म0नं0 18 विज्ञान नगर, कोटा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया । मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण के बारे में उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर्स के वैद्य दस्तावेज चाहने पर उपस्थित अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों से हम सहमत नहीं है क्योंकि वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का रेस्टोरेन्ट में कॉमर्शियल उपयोग एवं संग्रहण नहीं हो रहा था । इस प्रकार मौके पर पाये गये उपरोक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डर्स का दुरूपयोग करने तथा जिस उपयोग हेतु गैस कनेक्शन जारी किया गया है, उस उपयोग में नहीं लेने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के खण्ड 3 (1),(ए), (बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

7. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत सीज्ड माल 04 (चार) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

8 निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner